Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

धार जिले से पलायन के कारण और राजनीतिक प्रभाव

शिवराम देवके* डॉ. मनिष चौधरी**

*** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत**
**** सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय , झाबुआ (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिसमे, परिवहन सुविधाए, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाए, विद्युत आपूर्ति, पेयजल सुविधा, रोजगार तथा उचित न्याय व्यवस्था आदि शामिल है। गांवों की दशा सुधारने के लिए एक अप्रैल 2010 में लागु हुए शिक्षा का अधिकार कानून से इस समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है। इस कानून से गांवों के स्कूलों की स्थिति, अध्यापकों की उपस्थिति और बच्चों के दाखिले में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया हैं। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस कानून को लागू करके गांवो में शिक्षा का प्रकाश फैलाने से रोजगार के अवसर बढेगें। वही असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार तथा भेदभाव में कमी होगी जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन बेहतर बनेगा। इस अभियान के तहत तीन लाख से अधिक नये स्कूल खोले गए जिसमें आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए है।

आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास की अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवो की हालत बेहतर बनाने और गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर जूटाने पर ध्यान केद्रित किया जाता रहा हैं। 97 वें संविधान संशोधन के जरिये पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत तथा अधिकार- सम्पन्न बनाया गया और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका काफी बढ़ गई है पंचायतो में महिलाओं व उपेक्षित वर्गो के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गो की हिस्सेदारी होने लगी है। इस प्रकार से गांवो में शहरो जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवाकर पलायन की प्रवृत्ति को सुलभ साधनो से रोका जा सकता है।

प्रस्तावना – पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगो की आवाजाही है, यह एक छोटी या लंबी दूरी के लिए अल्पकालीन या स्थायी स्वैच्छिक या मजबुरी, अन्तर-जिला, अन्तर्राजीय और अन्तर्राष्ट्रीय पलायन हो सकता है मध्यप्रदेश के धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन आदि जिलो से लोगों का पलायन करते है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यो में भी पलायन करते है। धार जिले में ऐसे कई विकासखण्ड और तहसीलों के गांव है यहां से गुजरात, महाराष्ट्र में मजदुरी के लिए जाते हैं और जिसमें 50 प्रतिशत लोग जिले से पलायन करते हैं बाहरी राज्यों कह तुलना में अन्तर-जिला पलायन में हमेषा बेहत्तर जीवन के लिए यानी आर्थिक जीवन स्तर में सुधार किया जा सकें। धार जिले के कई ऐसे क्षेत्र है जिनके पास भूमिहीन किसान या कम भूमि वाले कृषक किसान भूमि से इतना उत्पादन नही होता कि उनका जीवन यापन किया जा सकें और स्थानीय रोजगार की कमी के कारण पलायन करते हैं। जिले से पलायन करने वाले क्षेत्र इ़ही, कुक्षी , बाग, टाण्डा, मनावर, गंधवानी आदि क्षेत्र के लोगो का सर्वाधिक जनसंख्या पलायन करते है।

धार जिले को विकासशील जिला माना जाता हैं क्योंकि धार जिले में पिथमपुर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहां पर बहारी राज्यों से पलायन करने वाले बहुत अधिक लोग हैं जो धार एक पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की तलाश के लिए आ जाते है जिसक कारण स्थानीय या जिले के लोगों को रोजगार की तलाश के लिए बहारी राज्यों मे पलायन करना पडता हैं, जिले में स्वरोजगार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही हो पाता हैं और स्वरोजगार जैसी कई कमियां देखने को मिलती है जिसका कारण है शिक्षा की कमी दीखाई देती है।

पलायन स्वैच्छिक अथवा जबरन हो सकता है, स्वैच्छिक पलायन अक्सर बेहतर रोज़गार के अवसर यानी आर्थिक मौको के लिए होता है। जिले में अमूमन युवा छात्रों को बेहतर अध्ययन या फिर रोजगार की तलाश में पलायन करते हुए देखा जाता है या फिर युवा पुरूष एवं महिलाओं का रोज़गार के लिये पलायन का गवाह रहा है। कई बार महिलायें और माता-पिता दुर राज्य या देश में काम कर रहें उनके पति, पिता पुत्र के साथ काम करने अथवा साथ रहने को चले जाते हैं। बाकी अन्य वर्ग के लोग भी बेहतर जीवन शैली की चाह में शहरो की ओर कुच कर जाते है दूसरी तरफ, स्थानीय जीवन में होने वाली कठिनाईयों से पीड़ित लोग भी इनसे पार पाने के लिए कई बार हालात से समझौता करते हुए पलायन के लिए मजबूर हो जाते है।

जिले मे आंतरित प्रजनन अथवा गांव मे रह रही आबादी के संख्या का प्राकृतिक तौर पर बढ़ना ग्रामीण क्षेत्रों का भौगोलिक विस्तार जिसमें ग्रामीण बस्तियों को प्रशासनिक तौर पर, किसी गांव से नगर पालिका में परिवर्तित करके शहर के रूप में परिवर्तित किया जाता है ये प्रमुख तौर पर एक पहले के गांव में उसकी बड़ी जनसंख्या, अधिक घनत्व, गैर-कृषि, आर्थिक गतिविधियों का उंचे प्रतिशत और उसकी बढ़ती राजस्व क्षमता जैसे शहरी कारणों की वजह से संभव हो पाता है। जो कई तरीकों से होता है जैसे जब लोग देश के किसी गांव से शहर या नगर में बसने के लिये चले जाते है या फिर एक शहर से किसी दूसरे शहर में पलायन कर लेते है और कई बार एक देश से किसी दूसरे देश के शहर मे बस जाते है, हांलाकि ऐसे लोग भी होते है, जो किसी गांव शहर विशेष को छोडकर अन्य जगहों में रहने के लिये चले जाते है।

पलायन करने के कारण:

1. ग्रामीण इलाको का कृषि आधार वहां रहने वाली सभा जनता को

रोजगार प्रदान नहीं करता हैं क्षैत्रीय विकास में असमानता लोगो को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए विवष करती है।

2. शैक्षणिक सुविधाओं की कमी के कारण भी ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करते है।
3. राजनीतिक अस्थिरता और अन्तर – जातीय संघर्ष के कारण भी लोग अपने घरो से दूर चले जाते है।
4. गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी लोगो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करती है।
5. बेहत्तर स्वास्थ्य और वित्तिय सेवाओं का लाभ उठाने के लियें लोग बेहत्तर चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में अल्पावधि के आधार पर पलायन करते है।
6. भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, धार्मिक उत्पीडन और अन्य कारण भी लोगों के आंतरिक पलायन की और अग्रसर करते है।

पलायन में राजनीतिक प्रभाव – पलायन में राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है जो चुनाव के समय देखने को मिलता है, उम्मीदवार जो चुनाव में खड़ा होता है तो उसका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है और समाज के लोग जो कार्यकर्ता और उसके साथी के उनके समाज वालो को बताने से और मतदाताओं को कार्यकर्ता घर – घर जाकर समझाते है और उनसे पुछताज करते है औार चुनाव के समय पलायन कर्ताओं के अन्दर भी बहुत ज्यादा उत्सुक्ता होती है जिससे वे उनक सम्पर्क मे रहते है और जिससे वह सभी मतदाता पर्ची बूथलेवल ऑफिर द्वारा बाटा जाता हैं, और उसके द्वारा जो शेष बचती है पर्ची उसकी जानकारी भी जो प्रत्याशी खडा होता है उसके कार्यकर्ता के बी.एल.ओ. से प्राप्त कर उनकी जानकारी निकालते हैं, और अपने संबंधीत या समाज का व्यक्ति भी बता देते कि कोई व्यक्ति बाहर गया तो कितने समय के लिये पलायन किया है जिसकी जानकारी कार्यकर्ता प्राप्त कर लेते है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जानकारी मिल जाती हैं और उसके माध्यम से वे उम्मीदवार को मिलती और उम्मीदवार का पहले से भी समाज में मिलनसार होते से बहुत अधिक प्रभावित होते है और कार्यकर्ता के माध्यम से पलायन करने वाले श्रमिकों को चुनाव के समय मतदान के दो दिवस पूर्व उनको लाने के लिएबस भेजते है और उनके पलायन कर्ता जो इन्दौर, धार, भोपाल आदि जिलों में जो छात्र/छात्राऐं जो पढ़ाई करते उन युवाओं को और धार पिथमपुर, इंदौर जों श्रमिक पलायन करते है उन्हें भी मतदान कराने के लिए लेकर आते है और स्पेशन उन्हे लेने के लिए बस भेजते हैं जिनके साथ उनका चाय, नाश्ता और भोजन आदि के पैकेट देते है और उनके मुख्यालय यानि कुक्षी, इही, मनावर, गंधवानी, बाग, टाण्डा, आदि विकास खण्डों या तहसीलों में ला कर छोड़ देते हैं और उनकों खाने का पैकेट, लिफाफा, आदि दिया जाता हैं और उनको सभी अपनी – अपनी पार्टी के सदस्य मिल कर देते है। और कहीं कहीं पर शराब भी बाटी जाती है जिसके कारण भी मतदाता प्रभावित होते है और मतदाता अपनी अपनी पार्टी को मतदान भी करते है और मतदान करते समय वे उनके बच्चे को भी साथ लेकर आते है तो उनको भी खाने का सामान और वापस जाने तक के लिए किराया भी दिया जाता है मतदाता और अधिक प्रभावित होते है, इस वर्ष मतदान का प्रतिशत जिसके कारण भी मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है।

पलायन करने से पलायनकर्ता के घर में सिर्फ बुढें माता– पिता बचते है घर पर जिससे कई से बहुत सारे लोग पलायन कर जाते है जिससे उनके घर में अपराधी प्रवृत्ति के लोगो की उनके घर पर निगाहें रहती है और चौरी डकेती करते है जिससे उनके गांव समाज में अपराध बढने के संकेत ज्यादा होते है क्योंकि घर में बुजूर्ग महिला–परूष को देख कर चौरी करने के लिए घर में घुस जाते है। जिससें सरकार को पलायन रोकने के उपाय करना चाहिए।

धार लोकसभा क्षेत्र मे औसत रूप से 72.45 प्रतिशत मतदान हुआ है। सर्वाधिक मतदान बदनावर में 76.89 प्रतिशत हुआ है। भोजशाला और माण्डू के लिए लोकप्रिय धार लोकसभा सीट मे मतदान के प्रति आदिवासी अंचल में उत्साह रहा। सुबह छह बजे आदिवासी अंचल के ग्राम सराय में 400 से अधिक मतदाता कतार लगाकर अपनी वोट डालने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि मतदान शुरू होने में करीब एक घण्टा बाकी था। यही क्रम मतदान को लेकर दिनभर जारी रहा उसके बाद भी आठों विधानसभाऔ मे लगातार समय दर समय मतदान का प्रतिशत बढ़ता रहा। इस बीच में कुछ स्थानों पर मौसम में राहत भी दी तो मतदाता जोश के साथ बड़ी संख्या में बाहर आए। गंधवानी –70. 27 प्रतिशत, महू – 69.05 प्रतिशत, धरमपुरी– 76.19 प्रतिशत, धार –72.30प्रतिशत, बदनावर – 76.89 प्रतिशत, मनावर – 74.23, सरदारपुर – 72.22 प्रतिशत, कुक्षी –74.82आदि रहा है विद्यार्थी अपना कर्तव्य समझकर मतदान करने इंदौर, बेंगलुरू, पुणें आदि शहरों से धार पहुंचे।

किसी व्यक्ति का अपने स्थायी निवास स्थल से किसी दूसरे स्थान की ओर हमेशा के लिए जाने की प्रक्रिया को ही पलायन कहते है। इस तरह की घटना देश के भीतर या फिर अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी स्थायी तौर पर हो सकता है। 2020 में, IOM यानी (इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर माइग्रेशन) के अनुसार, पूरी दुनिया में 281 मिलियन आबादी प्रवासियों की हैं। इसे ऐसे भी की सकते है कि वैश्विक आबादी में 3.6 प्रतिशत संख्या अंतराष्ट्रीय प्रवासियों की है ये वर्ष 1990 की तुलना में ये 128 मिलियन से अधिक है और 1970 मे अपेक्षित संख्या का जो अनुमान लगाया गया था उसका तिगुना है। इसके अलावा ये प्रक्रिया वैयक्तिक और पारिवारिक स्तर पर भी लगातार घटना रहता हैं जहां लोग एक स्थान से हटकर दूसरी जगह पर रहने को चले जाते है, ऐसा अक्सर रोज़गार की तलाश मे होता है। वर्ष 2022 में प्राप्त आंकड़ो के अनुसार भारत में लगभग 42.86 प्रतिशत लोग कृषि आधारित रोज़गार पर निर्भर है। 1950 से लेकर वर्ष 2023 तक भारत से बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या मिलियनों में रही है।

गांवों से पलायने रोकने के सुझाव

समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना –ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सामाजिक समानता एवं न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना अति आवश्यक है। इसलिए सभी विकास योजनाओं में उपंक्षित वर्गो को विशेष रियायत दी जाए। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्वंयसहायता समूहों के जरियें विभिन्न व्यवसाय चलाने, स्वरोजगार प्रशिक्षण, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहें है जिनसे लाभा उठाकर गरीब तथा उपेक्षित वर्गो के लोग अपना तथा अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं।

इस संदर्भ में मैं एक अपने अनुभव पर आधारित प्रोजेक्ट के माध्यम से गांवों में चुने हूए जन प्रतिनिधियों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहा हूँ।

हमने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें ग्रामीण क्षैत्र में चुने हुए जन – प्रतिनिधियों के बारे मे जानकारी जुटानी थी मुख्य रूप से जो ग्रामीण पंच बनाए गए हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक जानकारी प्राप्त करनी थी। जिसमें पंचो ने अपनी व्यथा बड़े गम्भीर ढ़ंग से उजागर की और जानकारी नहीं और न ही कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अधिकतर पंच अशिक्षित व्यक्ति एवं महिलाएं बनाई गई है। और लोगों ने हमें कहा कि पंच के लिए शैक्षिक योग्यता अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए तभी ग्रामीण विकास हो सकता है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि हमारे साथ पंचायत में न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है और मात्र जोर जबरजस्ती एवं दबाव डालकर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर या अंगुठा लगवाया जाता है। अत: यह सामाजिक असमानता एवं अन्याय ही तो हैं इस कारण लोग राजनीतिक कार्यो से विमुख होकर अपनी आजीविका में शहरों की ओर पलायन कर रहे है अत: इसका उचित समाधान किया जाना चाहिए।

रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना – सर्वप्रथम गांवों में राजगार के अवसर निरंतरता के साथ उपब्ध कराए जाए जिससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा तो मिलेगी साथ ही वे स्वत: अपनी जीवनशैली में सुधार करेगें। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा 2 फरवरी 2006 को सभी राज्यों एवं जिलों में शुरू की गई। दूसरे चरण में 130 जिलो में एवं तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 265 जिलो में मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर सृजित हुए और गांवों से पलायन भी रूका है।

मौलिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना – ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जिसमे, परिवहन सुविधाए, सड़क, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थाए, विद्युत आपूर्ति, पेयजल सुविधा, रोजगार तथा उचित न्याय व्यवस्था आदि शामिल है। गांवों की दशा सुधारने के लिए एक अप्रैल 2010 में लागु हुए शिक्षा का अधिकार कानून से इस समस्या के समाधान की आशा की जा सकती है। इस कानून से गांवों के स्कूलों की स्थिति , अध्यापकों की उपस्थिति और बच्चों के दाखिले में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया हैं। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इस कानून को लागू करके गांवो में शिक्षा का प्रकाश फैलाने से रोजगार के अवसर बढेगें। वही असमानता, शोषण, भ्रष्टाचार तथा भेदभाव में कमी होगी जिसके फलस्वरूप ग्रामीण जीवन बेहतर बनेगा। इस अभियान के तहत तीन लाख से अधिक नये स्कूल खोले गए जिसमें आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए है।

भ्रष्टाचार–मुक्त प्रशासन की स्थापना – लोक कल्याण करने एवं ग्रामीण पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा योजना तो लागू की जाती है लेकिन ये योजनाएं भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा हथिया ली जाती है जिससे उसका पूरा लाभ जनता को नही मिल पाता हैं। ग्रामीण पंचायती राज क्षेत्र में इन योजनाओं की निगरानी के लिए व्यवस्था की जाती चाहिए जैसा कि राजस्थान में सर्वप्रथम सामालिक अंकेक्षण की शुरूआत की गई। इससे ग्रामीण में विश्वास जगा हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कृषि के स्थान पर पूंजी आधारित व अधिक आय प्रदान करने वाली खेती को प्रोत्साहन दिया जाए जिससे किसानो के साथ–साथ सीमांत किसानों और मजदूरों को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। सिंचाई सुविधा, जल प्रबन्ध इत्यादि के माध्यम से कृषि भूमि क्षेत्र का विस्तार किया जाए जिससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी साथ ही आय में भी वृद्धि होगी और किसानों में आत्मविश्वास व स्वाभिमान जागृत होगा जिससे ग्रामीण पलायन रूकेगा।

निष्कर्ष – आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था में सामुदायिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास की अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवो की हालत बेहतर बनाने और गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर जूटाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा हैं। 73 वें संविधान संशोधन के जरिये पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत तथा अधिकार– सम्पन्न बनाया गया और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका काफी बढ़ गई है पंचायतो में महिलाओं व उपेक्षित वर्गो के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गो की हिस्सेदारी होने लगी है। इस प्रकार से गांवो में शहरो जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवाकर पलायन की प्रवृत्ति को सुलभ साधनो से रोका जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. Rao (MS) Urbanization Social Change (1970) P.P. 52
2. कुरूक्षेत्र ग्रामीण भारत का बदलता स्वरूप वर्ष 53, अंक 12, अक्टूबर 2007, पृ. 5 से 39
3. मिश्र : अ.प्र. गरीबी और प्रवास, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1991, पृ. 111–112

****